आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक(स्थापना) उ0प्र0 के पत्र संख्याःडीजी–चार–110(607)/2017 दिनांक 10.10.2019 के साथ संलग्न अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्रॉकःपीआरपीबी–चार–14(05)/2018 दिनांक 24.09.2019 द्वारा रिट याचिका संख्याः24007 (एस/एस)/2019 वीरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ, खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 के परिप्रेक्ष्य में मुख्य आरक्षी आरमोरर/याची वीरन्द्र बहादुर सिंह पी0एन0ओ0–790500041 नियुक्ति जनपद–सुलतानपुर के प्रकरण को पुनर्विचार करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2016 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर भर्ती/चयन के वर्ष–2018 की रिक्त के सापेक्ष अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, मुख्य आरक्षी आरमोरर, पी0एन0ओ0–790500041 जनपद सुलतानपुर को उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन की संस्तुति व कार्यवृत्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदन के फलस्वरूप **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, मुख्य आरक्षी आरमोरर, पी0एन0ओ0–790500041, जनपद सुलतानपुर को माह–अक्टूबर 2019 में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने को दृष्टिगत रखते हुए** उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान पर ही **उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस शर्त के साथ पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–**

क0	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	नियुक्ति का जनपद/इकाई
1	790500041	वीरेन्द्र बहादुर सिंह	श्री जगत पाल सिंह	जनपद सुलतानपुर

2– पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक आरमोरर अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली–2016 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक आरमोरर से संलग्न पारूप–''क'' में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.97 के खण्ड–2 में दी गयी 03 परिस्थितियां यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुाशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि अपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मुख्य आरक्षी आरमोरर उपरोक्त के विरूद्ध विद्यमान नहीं हो।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपर्युक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं तो उपरोक्त मुख्य आरक्षी आरमोरर को उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में

अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि संबंधित मुख्य आरक्षी आरमोरर द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी। इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र की प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर लॉजिस्टिक्स इकाई के सरकुलर में अपलोड कर दिया गया है।

11/10/19

(विजय कुमार मौर्य)
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स (परिवहन एवं आयुध इकाई)
पंचम तल, टावर–1, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर, विस्तार, लखनऊ 226010

संख्या–लॉजि0–आरमोरर–16/2018 **दिनांकः लखनऊः अक्टूबर, 11 2019**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या पीआरपीबी–चार–14(5)2018 दिनांक 24.9.2019 के संदर्भ में।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–डीजी–चार–110 (607)2017 दिनांक 10.10.2019 के संदर्भ में।
3. अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक जनपद सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।